उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्याः 2030 /मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2016–03(03)–मा0सं0(04)/2014 दिनांक 01 दिसम्बर 2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 में निदेशक मण्डल की दिनाँक 19.09.2016 को सम्पन्न 126वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 853–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/16 दि0 07.10.2016 को उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अंगीकृत किये जाने हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा परिचालन माध्यम से पारित अनुमोदन उपरान्त एतद्द्वारा निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :–

1. दिनाँक 28.02.2009 के उपरान्त सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ता जिन्हें छठें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में, प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि को वेतन (वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में) प्रारम्भिक बैण्ड वेतन रू0 15600 अनुमन्य हो रहा है, में 02 अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रकल्पित रूप से अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त 02 अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रकल्पित रूप से उन सहायक अभियन्ताओं को भी अनुमन्य होगा जो अवर अभियन्ता पद से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत हुए हैं।
3. प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को उपरोक्त 02 प्रकल्पित वेतन वृद्धि का लाभ इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि अग्रिम वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य कराये जाने के उपरान्त उनका वेतन छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत निर्धारित वेतन बैण्ड रू0 15600–39100 में बैण्ड वेतन रू0 16880 से अधिक न हो।
4. उक्त प्रकल्पित रूप से अनुमन्य करायी गयी 02 वेतन वृद्धियों सहित वेतन निर्धारण के फलस्वरूप आंकलित वेतन स्तर पर वेतन एवं भत्तों का आहरण आदेश निर्गमन की तिथि अर्थात तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। इस प्रकार प्रकल्पित वेतन निर्धारण की तिथि से आदेश निर्गमन की तिथि तक किसी प्रकार के कोई अवशेष देय नहीं होंगें।
5. कार्यालय ज्ञाप संख्या 320/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2009–43–मा0सं0(04)/2008 दिनाँक 28.02.2009 की संगत व्यवस्थायें उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगीं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्याः 2030(1) मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव/स्टाफ आफिसर।

शेष पृष्ठ–2 पर........

4. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
6. कार्यकारी महाप्रबन्धक (मा0सं0–1/6), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक(मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/जानपद–नवपरियोजनायें/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को दिनांक 30.11.2016 को निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के क्रम में।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
10. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0 (मा0सं0–02/03/04/05)/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
11. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार,लखनऊ।
12. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
14. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
15. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
16. कट फाइल।

आज्ञा से,

Manoj Kumar 1/12/16

(मनोज कुमार सक्सेना)

अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)